

शुद्ध अहकाम
(विभाग 10)

अब अदायता - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

आवेदन पत्रिका मुकाम लीमिटेड के केशवविलास
बंगला

शिवराज विमल मुकाम लीमिटेड के केशवविलास

किसम मुकाम नं 111, 128 एन. और 343/2 मुकाम नं 14/2022

लाभिक मुकाम	मुकाम का कार्यावली का इतिहास/विवरण	आदेश नं. तारीख आवेदन नं. मुकाम नं. तारीख नं. मुकाम नं.
1/508/22	<p>प्रार्थना पत्र शिरो से बाद जीव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरूरी अतिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकतर/संयुक्त खेतों की भूमि ग्राम केशवविलास प.ह. धुंवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न 131/1, 132/2, 343/2 कुल किता 3 रकबा 0.3481 हेक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अतिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्यत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि भूमि ग्राम केशवविलास प.ह. धुंवाला तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न 131/1, 132/2, 343/2 कुल किता 3 रकबा 0.3481 हेक्टेयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)